विधानसभा / महत्वपूर्ण

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email- dirfood.cg@gov.in, website- www.fcs.cg.gov.in)

क्रमांक 102/संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक 30 / 06 / 2026

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
अटल नगर नवा रायपुर

विषयः– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 741 तारांकित द्वारा श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 741 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में**) दिनांक** 02.07.2026 तक ई–मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **10/07/2026**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **17/07/2026** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **ई-पास मशीन के क्रय-मूल्य और किराया-मूल्य का अंतर**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **741**) **श्रीधरमलाल कौशिक**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2256 दिनांक 16 मार्च, 2026 के उत्तर अनुसार "खाद्यान्न वितरण हेतु प्रश्नांकित अवधि में 14,085 ई-पास मशीनें किराये पर ली गई हैं। ई-पास मशीन का किराया रूपये 1432.52 प्रति मशीन प्रतिमाह है।" क्या 4 वर्षो में राशि 91,78,20,539 रूपये का भुगतान किया गया है? क्या उक्त प्रश्न में मशीन के क्रय की स्थिति में प्रति मशीन लागत व किराये की स्थिति के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर उल्लेखित/बताया नहीं गया था? यदि हॉ तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है? नाम व पदनामवार जानकारी देवें? (ख) क्या उक्त मशीनों को किराये पर लेने से पूर्व विभाग द्वारा इसके क्रय-मूल्य और किराया-मूल्य के अंतर का कोई तुलनात्मक आकलन किया गया था? यदि हाँ, तो बाजार दर के अनुसार एक ई-पॉस मशीन को खरीदने में कितनी राशि व्यय होती और लगातार 5 वर्षो से किराया देने पर कितनी राशि व्यय होगी? दोनों का अंतर बताएं? उक्त मशीनों हेतु विभाग द्वारा जारी आरएफपी के निर्धारित मुख्य-नियम एवं शर्तें क्या थी एवं निष्पादित-अनुबंध क्या था? प्रतियां सहित जानकारी देवें? (ग) क्या निष्पादित-अनुबंध में मशीनों के खराब होने,इंटरनेट-कनेक्टिविटी न होने या तकनीकी गड़बड़ी आने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ तो वर्षवार ऐसे कितने प्रकरणों से कितनी-कितनी राशि वसूली गई/नहीं की गई है?जानकारी देवें?

उत्तर :

NAN